

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (भारतीय विद्युत अधिनियम 2003) गोहदजिला भिण्ड, (म०प्र०)(समक्ष – सतीश कुमार गुप्ता)विशेष विद्युत प्रकरण क्र० 119/16संस्थापन दिनांक-19-10-2016

म०प्र० राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र एण्डोरी जिला भिण्ड  
(म०प्र०)

-----अभियोजन

॥ विरुद्ध ॥

गंगा सिंह पुत्र मातादीन तोमर आयु 60 वर्ष निवासी  
ग्राम छरेटा, थाना एण्डोरी, जिला भिण्ड (म०प्र०)

-----अभियुक्त

राज्य की ओर से – श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।

अभियुक्त गंगा सिंह की ओर से – श्री ए०के० राणा अधिवक्ता।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक 13/04/18 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304-ए भा०दं०सं० व धारा 135 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत इस आशय के आरोप हैं कि दिनांक 08.03.16 को करीब 11:00 बजे अपने ट्यूबवेल के पास ग्राम छरेटा थाना एण्डोरी में उसके द्वारा उतावलेपन/उपेक्षापूर्वक ढंग से विद्युत प्रवाहित तार डालने के परिणामस्वरूप करंट लगने से मृतक शिवचरन की ऐसी मृत्यु कारित हुई, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है तथा उसने उक्त दिनांक समय व स्थान पर अवैध रूप से बिना अनुमति के म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कंपनी लिमिटेड की एल.टी. लाईन से डायरेक्ट तार डालकर विद्युत उर्जा की चोरी की।
02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत/निर्विवादित तथ्य नहीं है।
03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.03.16 को 15:00 बजे थाना एण्डोरी में उपस्थित होकर पुलिस को सूचनाकर्ता मेघ सिंह द्वारा इस आशय की मौखिक सूचना

दी गई कि उसके चाचा शिवचरन सिंह बघेल गांव के गंगा सिंह तोमर के ट्यूबवेल पर नहाने गये थे वहां पर धर्म सिंह तोमर को करंट लग गया था तो धर्म सिंह को बचाने में शिवचरन सिंह को भी करंट लग जाने के कारण अस्पताल गोहद में शिवचरन को ले जाने पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। उक्त सूचना पर से थाना एण्डोरी में दर्ज मर्ग क्रमांक 03/16 धारा 174 सीआरपीसी प्र0पी0-1 कायम कर जांच के दौरान पाया गया कि अभियुक्त गंगा सिंह के द्वारा कोई विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग से नहीं लिया गया था व लापरवाही से एल0टी0 लाईन पर डायरेक्ट तार डाला था, जिससे बिजली का करंट लगने से मृतक शिवचरन बघेल की मृत्यु हुई है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304-ए भा0दं0सं0 व धारा 135 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत अपराध क्रमांक 107/16, प्र0पी0-10 अनुसार अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान पूर्ण होने के उपरांत अभियुक्त गंगा सिंह के विरुद्ध उक्त धाराओं के तहत अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**04.** प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304-ए भा0दं0सं0 व धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध द टित करना अस्वीकार करते हुये विचारण चाहे जाने के कारण अभियोजन की ओर से अपने मामले को प्रमाणित करने के लिये साक्षी मेघ सिंह (अ.सा.1), रामगोपाल (अ.सा.2), सोमवती (अ.सा.3), सुनील मेहरा (अ.सा.4), धर्म सिंह (अ.सा.5), धर्मेन्द्र सिंह (अ.सा.6), विजय कुमार (अ.सा.7), जगदीशचंद्र (अ.सा.8), भारत सिंह (अ.सा.9) व साहब सिंह (अ.सा.10) का परीक्षण कराया गया। तत्पश्चात अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने अपने-आप को निर्दोष होना व रंजिशन झूठा फँसाया जाना व्यक्त करते हुये बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

**05. प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं:-**

<b>01.</b>	क्या घटना दिनांक 08.03.16 को करीब 11:00 बजे अपने ट्यूबवेल के पास ग्राम छरेंटा थाना एण्डोरी में अभियुक्त गंगा सिंह के द्वारा उतावलेपन/उपेक्षापूर्वक ढंग से विद्युत प्रवाहित तार डालने के परिणामस्वरूप करंट लगने से मृतक शिवचरन की ऐसी मृत्यु कारित हुई, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?
<b>02.</b>	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अवैध रूप से बिना अनुमति के म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कंपनी लिमिटेड की एल.टी. लाईन से डायरेक्ट तार डालकर विद्युत उर्जा की चोरी की ?
<b>03.</b>	दण्डादेश, यदि कोई हो तो ?

## ॥ साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष ॥

### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

06. जहाँ तक उक्त विचारणीय प्रश्न का संबंध है, अभिलेखगत साक्ष्य सहित प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि अभियोजन के अनुसार प्रत्यक्षदर्शी एवं मामले में आहत धर्म सिंह अ०सा०-5 एवं अन्य प्रत्यक्षदर्शी धर्मेन्द्र सिंह अ०सा०-6 ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त गंगा सिंह एवं मृतक शिवचरन को जानते हुये प्रकट किया है कि उन्हें प्रश्नगत घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने पुलिस को कोई कथन नहीं दिया व उन्हें नहीं मालूम कि शिवचरन कब खत्म हुये हैं।

07. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त दोनों प्रत्यक्षदर्शी होकर महत्वपूर्ण साक्षीगण धर्म सिंह अ०सा०-5 व धर्मेन्द्र सिंह अ०सा०-6 से विस्तृत सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उनके कथनों में ऐसी कोई भी बात अभिलेख पर नहीं आई है, जो कि विचारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन के मामले को बल प्रदान करती हो, बल्कि उक्त संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गये समस्त सुझावों को उक्त दोनों ही साक्षीगण द्वारा दृढ़तापूर्वक गलत होना बताते हुये पुलिस को क्रमशः प्र०पी०-7 व 8 के अनुसार कथन दिये जाने से इंकार किया है तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान अभियोजन के इस मामले के विपरीत यह स्वीकार किया है कि प्रश्नगत घटना में धर्म सिंह को न तो कोई करेंट लगा था और न ही पुलिस ने उसकी डॉक्टरी कराई थी। इस प्रकार उक्त दोनों साक्षीगण के कथनों का कोई लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता है।

08. अभियोजन साक्षीगण मेघ सिंह अ०सा०-1, रामगोपाल अ०सा०-2, जो कि मृतक शिवचरन का पुत्र है, एवं सोमवती अ०सा०-3, जो कि मृतक शिवचरन की पत्नी है, का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि प्रश्नगत घटना के समय वे टैक्टर से अपने गांव से दंदरौआ सरकार के दर्शन करने के लिये जा रहे थे, तभी रास्ते में दंदरौआ सरकार मंदिर के पास उन्हें गांव से फोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि अभियुक्त गंगा सिंह के ट्यूबवेल पर मृतक शिवचरन नहाने गये थे तो धर्म सिंह को करेंट लग जाने से उन्हें बचाने में शिवचरन को करेंट लग जाने से उनकी मृत्यु हो गई है। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त तीनों साक्षीगण घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण नहीं है, बल्कि वे अनुश्रुत श्रेणी के साक्षी होने के कारण उनके कथन विचारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य योग्य नहीं रह जाते हैं और वैसे भी मामले में उक्त तीनों साक्षीगण का ऐसा कदापि कहना नहीं है कि अभियुक्त गंगा सिंह के द्वारा प्रश्नगत घटना के समय व स्थान पर उतावलेपन/उपेक्षापूर्ण ढंग

से विद्युत प्रवाहित तार डाले जाने के परिणामस्वरूप मृतक शिवचरन की मृत्यु कारित हुई है, बल्कि स्वयं फरियादी मेघ सिंह अ०सा०-1, जो कि मृतक शिवचरन का भतीजा है, का अपने मुख्य परीक्षण में ही कहना है कि उसने नहीं देखा कि तार कहां से कहां डाला था व किसने डाले थे। अतएव उक्त तीनों साक्षीगण के कथनों का भी कोई लाभ अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता है।

**09.** मामले में मर्ग जांचकर्ता एवं विवेचक जगदीश चंद्र अ०सा०-8 का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि उसने थाना एण्डोरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुये थाना एण्डोरी के मर्ग क्रमांक 03/16 धारा 174 सीआरपीसी की जांच पर से यह पाया था कि अभियुक्त गंगा सिंह द्वारा विद्युत विभाग से कोई कनेक्शन नहीं लिया गया था और डायरेक्ट विद्युत तार डाला था, जिससे करंट लगने से शिवचरन की मृत्यु हुई है। तदनुसार उक्त साक्षी ने अपने कथनों में प्र०पी०-10 के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध कायमी करते हुये उसे प्र०पी०-11 व 13 के अनुसार गिरफ्तार किया जाना एवं 10 मीटर लंबे काले रंग के विद्युत तार को जप्ती पत्रक प्र०पी०-12 के अनुसार जप्त कर साक्षीगण सोमवती, मेघ सिंह, रामगोपाल, धर्म सिंह, धर्मेन्द्र व अनिल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया जाना बताया है, लेकिन जांचकर्ता व विवेचक के रूप में महत्वपूर्ण इस साक्षी का भी अपने न्यायालयीन कथनों में ऐसा कदापि कहना नहीं है कि अभियुक्त गंगा सिंह ने प्रश्नगत विद्युत प्रवाहित तार को लापरवाही से अर्थात् उतावलेपन/उपेक्षापूर्वक ढंग से डाले थे अथवा मौके पर डाले गये विद्युत प्रवाहित तार कटे-फटे हालत में थे।

**10.** इसी प्रकार जप्ती पत्रक प्र०पी०-12 के अवलोकन से भी ऐसा नहीं पाया जाता है कि उसमें जप्तशुदा 10 मीटर लंबे तार को कटे-फटे या नंगा होने के संबंध में लेख किया गया है, बल्कि उक्त साक्षी का एवं जे०ई० सुनील अ०सा०-4 का अपने कथनों में मुख्य रूप से मात्र यही कहना है कि अभियुक्त गंगा सिंह ने विद्युत विभाग से कनेक्शन नहीं लिया था, जिसे कि संदेह से परे अभियुक्त गंगा सिंह का लापरवाहीपूर्ण कृत्य होना नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में मामले में शेष औपचारिक साक्षीगण डॉ० विजय कुमार अ०सा०-7, प्र०आर० भारत सिंह अ०सा०-9 व प्र०आर० साहब सिंह अ०सा०-10 एवं जे०ई० सुनील मेहरा अ०सा०-5 के कथनों की विषद विवेचना किया जाना आवश्यक नहीं रह जाता है, क्योंकि अभिलेख पर अभियुक्त गंगा सिंह द्वारा उतावलेपन/उपेक्षापूर्वक ढंग से विद्युत प्रवाहित तार डाले जाने के संबंध में महत्वपूर्ण एवं विश्वासजनक साक्ष्य का अभाव होना पाये जाने के कारण उक्त तीनों औपचारिक साक्षीगण के कथनों के आधार पर मामले में विचारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त की दोषसिद्धि सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।



11. परिणामतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर विचारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर ठोस, दृढ़ एवं विश्वासजनक अभियोजन साक्ष्य का अभाव होने के कारण युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि दिनांक 08.03.16 को करीब 11:00 बजे अपने ट्यूबवेल के पास ग्राम छरेंटा थाना एण्डोरी में अभियुक्त गंगा सिंह के द्वारा उतावलेपन/उपेक्षापूर्वक ढंग से विद्युत प्रवाहित तार डाले एवं उसके परिणामस्वरूप करंट लगने से मृतक शिवचरन की ऐसी मृत्यु कारित हुई, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है। तदनुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक-2**

12. जहाँ तक उक्त विचारणीय प्रश्न का संबंध है, अभिलेखगत साक्ष्य सहित प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि मामले में सूचनाकर्ता मेघ सिंह द्वारा करंट लगने से शिवचरन की मृत्यु हो जाने के संबंध में थाना एण्डोरी में उपस्थित होकर दी गई सूचना पर से धारा 174 दं०प्र०सं० के अंतर्गत दर्ज मर्ग क्रमांक 03/16 की जांच पर से जांचकर्ता/विवेचक जगदीश चंद्र अ०सा०-8 द्वारा जे०ई० सुनील से अभियुक्त गंगा सिंह के विद्युत कनेक्शन बावत जानकारी लेते हुये अभियुक्त गंगा सिंह के विरुद्ध धारा 304-ए भा०दं०सं० एवं धारा 135 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत अपराध क्रमांक 107/16 पर अपराध पंजीबद्ध करते हुये अनुसंधान उपरांत उक्त धाराओं के तहत अभियोग पत्र पेश किया गया है, लेकिन प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में पुलिस को उपयुक्त सरकार या उपयुक्त आयोग या मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक या अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी या उत्पादन कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्युत चोरी के संबंध में कोई लिखित शिकायत पेश नहीं की गई है और न ही ऐसी किसी लिखित शिकायत को पुलिस द्वारा धारा 173 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत अपने अंतिम प्रतिवेदन के साथ पेश की गई है तथा उक्त सभी अथवा उनमें से किसी की ओर से प्रकरण में न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत विद्युत चोरी के संबंध में कोई लिखित परिवाद भी पेश नहीं किया गया है।

13. उपरोक्त के अलावा मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि क्वेरी रिपोर्ट देने वाले विद्युत कंपनी के जे०ई० सुनील अ०सा०-4 द्वारा अपनी रिपोर्ट में तथा न्यायालयीन कथनों में प्रश्नगत घटना के समय व स्थान पर अभियुक्त गंगा सिंह द्वारा विद्युत उर्जा की चोरी किये जाने के संबंध में स्पष्टतः प्रकटन नहीं किया है, बल्कि मुख्य रूप से अभियुक्त गंगा सिंह के विद्युत कनेक्शन के संबंध में ही जानकारी दिया जाना बताते हुये पूर्व में अभियुक्त गंगा सिंह द्वारा अस्थाई कनेक्शन लिया जाना बताया

गया है, जिसकी पुष्टि बचाव पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों से भी होती है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा बेईमानीपूर्ण ढंग से ही विद्युत उर्जा प्राप्त किया जाना मामले में संदेह से परे स्थापित नहीं होता है।

14. उपरोक्त के अलावा मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन के साथ ऐसा कोई दस्तावेज भी अभिलेख पर पेश नहीं किया गया है, जिसके अवलोकन से पुलिस को क्वेरी रिपोर्ट देने वाले जे०ई० सुनील अ०सा०-4 को परिवादी कंपनी या सरकार द्वारा प्रश्नगत विद्युत चोरी के संबंध में जानकारी देने या शिकायत पेश करने के लिये अधिकृत किया जाना दर्शित होता हो, जबकि अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत सम्मानीय न्यायदृष्टांत बापू पुरी विरुद्ध म०प्र०वि०वि०कं० लिमिटेड 2009 (2) जे.एल.जे. 168 में यह भली भांति ठहराया जा चुका है कि—“विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 (1क), 135 (2), 135 (4), 151 तथा 154 (4) – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 100 – साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 114 (छ) – विद्युत की चोरी – परिवादी द्वारा स्वयं को प्राधिकृत किया जाना साबित नहीं किया गया – संज्ञान नहीं किया जा सकता – संहिता की धारा 100 के अनुसार तार और मोटर अभिगृहीत नहीं – साक्षी नामित परंतु परीक्षित नहीं – प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है – अभियुक्त दोषमुक्त का हकदार है। उपरोक्तानुसार प्रतिपादित महत्वपूर्ण न्याय सिद्धांत वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों में अनुकरणीय होकर अनुपालनीय है।

15. परिणामतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर प्रतिपादित महत्वपूर्ण न्याय सिद्धांत सहित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 151 एवं उसके अंतर्गत वर्ष 2005 में बनाये गये नियम 12 में उपबंधित विधिक प्रावधानों के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त गंगा सिंह की धारा 135 विद्युत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्धी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। तदनुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 को भी प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

16. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन एवं विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 के निराकरण अनुसार अभियोजन पक्ष का यह मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने के कारण अभियुक्त गंगा सिंह को धारा 304-ए भा०दं०सं० एवं धारा 135 विद्युत अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17. प्रकरण में अभियुक्त जमानत पर है। अतः उसके जमानत प्रपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

18. प्रकरण में जप्तशुदा सामग्री अपील अवधि पश्चात अपील नहीं होने की दशा में नष्ट हो। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा की जावे।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता)  
विशेष न्यायाधीश,  
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

(सतीश कुमार गुप्ता)  
विशेष न्यायाधीश,  
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)